



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-07082024-256138
CG-MH-E-07082024-256138

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 593]
No. 593]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 6, 2024/श्रावण 15, 1946
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 6, 2024/SHRAVANA 15, 1946

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 5 अगस्त, 2024

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

[आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2024

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2024/198.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (खक) एवं खंड (ग) तथा धारा 12 की उप-धारा (1) एवं उप-धारा (1ख) के साथ पठित धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,-

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2024 कहा जा सकेगा।
- ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 में,-

I. विनियम 3 में, उप-विनियम (4) में, खंड (ख) में, चिह्नों, शब्दों तथा अंकों " "प्रवर्ग II आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधि" जो प्रवर्ग I तथा III में नहीं आती है और जो दैनंदिन प्रचालन-संबंधी अपेक्षाओं, और इन विनियमों में यथा अनुज्ञात, से भिन्न लीवरेज या उधार नहीं लेते" के स्थान पर चिह्न, शब्द तथा अंक " "प्रवर्ग-II की आनुकल्पिक निवेश निधि" (ए.आई.एफ.), जो प्रवर्ग-I तथा प्रवर्ग-III के अंतर्गत नहीं आती और जो लीवरेज या उधार (सिवाय उन मामलों में जहाँ उधार लेने की अनुमति इन विनियमों में हो) नहीं लेती" आ जाएँगे।

II. विनियम 13 में, उप-विनियम (5) में, परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक आ जाएँगे, अर्थात्,-

"परंतु यह कि अक्रेडिटिड निवेशकों के लिए 'अत्यधिक निवेश करने हेतु बनाए गए फंड' (लार्ज वैल्यू फंड) की अवधि पाँच वर्षों तक बढ़ाने की अनुमति दी जा सकेगी, बशर्ते कि दो-तिहाई यूनिटधारकों [उनके द्वारा अक्रेडिटिड निवेशकों के लिए 'अत्यधिक निवेश करने हेतु बनाए गए फंड' (लार्ज वैल्यू फंड) में किए गए निवेश के मूल्य के अनुसार] की मंजूरी मिल जाए:

परंतु यह और कि अक्रेडिटिड निवेशकों के लिए 'अत्यधिक निवेश करने हेतु बनाए गए फंड' (लार्ज वैल्यू फंड) की किसी मौजूदा स्कीम की अवधि उन शर्तों के तहत बढ़ाई जा सकेगी, जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएँ।"

III. विनियम 16 में, उप-विनियम (1) में, खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

"(ग) प्रवर्ग-I की आनुकल्पिक निवेश निधियाँ (ए.आई.एफ.) निवेश करने के लिए या किसी दूसरे मकसद से प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उधार नहीं लेंगी अथवा कोई लीवरेज नहीं लेंगी, हालाँकि वे उन मामलों में उधार ले सकेंगी जहाँ पैसों की जरूरत थोड़े समय के लिए हो और रोजमर्रा के कामकाज के लिए हो, लेकिन इस तरह से भी उधार न तो तीस दिनों से ज्यादा की अवधि के लिए लिया जा सकेगा, न ही एक वर्ष में चार से ज्यादा बार लिया जा सकेगा और न ही निवेशयोग्य निधियों (इन्वेस्टेबल फंड्स) के दस प्रतिशत से ज्यादा का उधार लिया जा सकेगा, और इसके लिए बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई शर्तों का तो पालन करना ही होगा:

परंतु यह कि प्रवर्ग-I की ए.आई.एफ. उस इन्वेस्टी कंपनी (वह कंपनी जिसमें निवेश किया जाता हो), जो बुनियादी ढाँचे (अवसंरचना / इन्फ्रास्ट्रक्चर) के उन उप-क्षेत्रों (सब-सेक्टर) में से किसी उप-क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं (प्रोजेक्ट) के विकास, संचालन या प्रबंधन से जुड़ा कारोबार कर रही हो जिसका जिक्र केंद्रीय सरकार द्वारा जारी की गई इन्फ्रास्ट्रक्चर के उप-क्षेत्रों की मास्टर सूची में किया गया हो, की इकट्टी पर ऋण-भार सृजित कर सकती हैं, किंतु ऐसा केवल तभी किया जा सकेगा जब वह इन्वेस्टी कंपनी उधार ले रही हो और साथ ही ऐसा उन शर्तों के तहत किया जा सकेगा जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएँ।"

IV. विनियम 17 में, खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

"(ग) प्रवर्ग-II की आनुकल्पिक निवेश निधियाँ (ए.आई.एफ.) निवेश करने के लिए या किसी दूसरे मकसद से प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उधार नहीं लेंगी अथवा कोई लीवरेज नहीं लेंगी, हालाँकि वे उन मामलों में उधार ले सकेंगी जहाँ पैसों की जरूरत थोड़े समय के लिए हो और रोजमर्रा के कामकाज के लिए हो, लेकिन इस तरह से भी उधार न तो तीस दिनों से ज्यादा की अवधि के लिए लिया जा सकेगा, न ही एक वर्ष में चार से ज्यादा बार लिया जा सकेगा और न ही

निवेशयोग्य निधियों (इन्वेस्टेबल फंड्स) के दस प्रतिशत से ज्यादा का उधार लिया जा सकेगा, और इसके लिए बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई शर्तों का तो पालन करना ही होगा:

परंतु यह कि प्रवर्ग-II की ए.आई.एफ.एस इन्वेस्टी कंपनी (वह कंपनी जिसमें निवेश किया जाता हो), जो बुनियादी ढाँचे (अवसंरचना / इन्फ्रास्ट्रक्चर) के उन उप-क्षेत्रों (सब-सेक्टर) में से किसी उप-क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं (प्रोजेक्ट) के विकास, संचालन या प्रबंधन से जुड़ा कारोबार कर रही हो जिसका जिक्र केंद्रीय सरकार द्वारा जारी की गई इन्फ्रास्ट्रक्चर के उप-क्षेत्रों की मास्टर सूची में किया गया हो, की इच्छा पर ऋण-भार सृजित कर सकती हैं, किंतु ऐसा केवल तभी किया जा सकेगा जब वह इन्वेस्टी कंपनी उधार ले रही हो और साथ ही ऐसा उन शर्तों के तहत किया जा सकेगा जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएँ।"

बबीता रायडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./362/2024-25]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/04/11262, 21 मई 2012 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 तत्पश्चात्,-
 - (क) 16 सितम्बर, 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/24/6573, द्वारा
 - (ख) 23 मई, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/03/1089, द्वारा
 - (ग) 26 सितम्बर, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रियल इस्टेट निवेश न्यास) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी./एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/11/1576, द्वारा
 - (घ) 14 अगस्त, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/011, द्वारा
 - (ङ) 4 जनवरी, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/026, द्वारा
 - (च) 6 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037, द्वारा
 - (छ) 1 जून, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/19, द्वारा
 - (ज) 10 मई, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/16, द्वारा
 - (झ) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/10, द्वारा

- (ज) 19 अक्तूबर, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी./एन.आर.ओ./जी.एन./2020/37, द्वारा
- (ट) 8 जनवरी, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी./एन.आर.ओ./जी.एन./2021/01, द्वारा
- (ठ) 5 मई, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/21, द्वारा
- (ड) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/30, द्वारा
- (ढ) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/33, द्वारा
- (ण) 13 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/41, द्वारा
- (त) 9 नवम्बर, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/57, द्वारा
- (थ) 24 जनवरी, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/68, द्वारा
- (द) 16 मार्च, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/75, द्वारा
- (ध) 25 जुलाई, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/89, द्वारा
- (न) 15 नवम्बर, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/105, द्वारा
- (प) 9 जनवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/113, द्वारा
- (फ) 18 जनवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) के नियंत्रण में परिवर्तन] (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/115, द्वारा
- (ब) 7 फरवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/121, द्वारा
- (भ) 15 जून, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/132, द्वारा
- (म) 3 जुलाई, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विवाद सुलझाने की वैकल्पिक व्यवस्था) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/137, द्वारा

- (य) 17 अगस्त, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शिकायत निवारण व्यवस्था को सुविधाजनक बनाना) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/146, द्वारा
- (कक) 5 जनवरी, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2024, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2024/163, द्वारा
- (खख) 25 अप्रैल, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2024/168, द्वारा
- (गग) 18 जुलाई, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2024, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2024/194, द्वारा

संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 5th August, 2024

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS) (FOURTH AMENDMENT) REGULATIONS, 2024

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/198.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 30 read with sub-section (1) of Section 11, clause (ba) and clause (c) of sub-section (2) of Section 11 and sub-section (1) and (1B) of Section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012, namely, –

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Fourth Amendment) Regulations, 2024.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012,—
 - I. In regulation 3, in sub-regulation (4), in clause (b), the words “to meet day-to-day operational requirements and” shall be omitted.
 - II. In regulation 13, in sub-regulation (5), the proviso shall be substituted with the following, namely,—

“Provided that a large value fund for accredited investors may be permitted to extend its tenure up to five years subject to the approval of two-thirds of the unit holders by value of their investment in the large value fund for accredited investors:

Provided further that the extension in tenure of any existing scheme of a large value fund for accredited investors shall be subject to such conditions as may be specified by the Board from time to time.”
 - III. In regulation 16, in sub-regulation (1), clause (c) shall be substituted with the following, namely,—

“(c) Category I Alternative Investment Funds shall not borrow funds directly or indirectly or engage in any leverage for the purpose of making investments or otherwise, except for borrowing funds to meet temporary funding requirements and day-to-day operational requirements for not more than thirty days, on not more than four occasions in a year and not more than ten percent of the investable funds and subject to such conditions as may be specified by the Board from time to time:

Provided that Category I Alternative Investment Funds may create encumbrance on equity of investee company, which is in the business of development, operation or management of projects in any of the infrastructure sub-sectors listed in the Harmonised Master List of Infrastructure issued by the Central Government, only for the purpose of borrowing by such investee company and subject to such conditions as may be specified by the Board from time to time.”

IV. In regulation 17, clause (c) shall be substituted with the following, namely,—

“(c) Category II Alternative Investment Funds shall not borrow funds directly or indirectly or engage in any leverage for the purpose of making investments or otherwise, except for borrowing funds to meet temporary funding requirements and day-to-day operational requirements for not more than thirty days, on not more than four occasions in a year and not more than ten percent of the investable funds and subject to such conditions as may be specified by the Board from time to time:

Provided that Category II Alternative Investment Funds may create encumbrance on equity of investee company, which is in the business of development, operation or management of projects in any of the infrastructure sub-sectors listed in the Harmonised Master List of Infrastructure issued by the Central Government, only for the purpose of borrowing by such investee company and subject to such conditions as may be specified by the Board from time to time.”

BABITHA RAYUDU, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./362/2024-25]

Footnote:

1. The Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 were published in the Gazette of India on May 21, 2012 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2012-13/04/11262.
2. The Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 were subsequently amended on, –
 - (a) 16th September, 2013 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/24/6573.
 - (b) 23rd May, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/03/1089.
 - (c) 26th September, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Real Estate Investment Trusts) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/11/1576.
 - (d) 14th August, 2015 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/011.
 - (e) 4th January, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2016 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/026.
 - (f) 6th March, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/037.
 - (g) 1st June, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2018/19.
 - (h) 10th May, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2019/16.
 - (i) 17th April, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
 - (j) 19th October, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2020/37.
 - (k) 8th January, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2021/01.
 - (l) 5th May, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Second Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/21.

- (m) 3rd August, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.
- (n) 3rd August, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Third Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/33.
- (o) 13th August, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Fourth Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/41.
- (p) 9th November, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Fifth Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/57.
- (q) 24th January, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/68.
- (r) 16th March, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Second Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/75.
- (s) 25th July, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Third Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/89.
- (t) 15th November 2022, by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Fourth Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/105.
- (u) 9th January 2023, by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/113.
- (v) 18th January 2023, by the Securities and Exchange Board of India (Change in Control in Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/115.
- (w) 7th February 2023, by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/121.
- (x) 15th June 2023, by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Second Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/132.
- (y) 3rd July 2023, by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Dispute Resolution Mechanism) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/137.
- (z) 17th August 2023, by the Securities and Exchange Board of India (Facilitation of Grievance Redressal Mechanism) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/146.
- (aa) 5th January 2024, by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2024 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/163.
- (bb) 25th April 2024, by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Second Amendment) Regulations, 2024 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/168.
- (cc) 18th July, 2024, by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Third Amendment) Regulations, 2024 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/194.
